



कार्यालय नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(हवामहल के पीछे माणक चौक बडी चौपड)

क्रमांक :- एफ 13 () उपा.आयो/ननिज./2021/ 736

दिनांक :- 17-06-2022

श्री नरेश चन्द गोयाल पुत्र श्री बनारसी दास गोयाल

पता:- डी-119-ए कबीर मार्ग बनीपार्क जयपुर।

विषय :- भूखण्ड सं. डी-119-ए, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर पर आवासीय फ्लैट्स हेतु भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत।

भवन मानचित्र की समिति की बैठक दिनांक 16.03.2021 में भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन करने हेतु लिये गये निर्णय की अनुपालना में एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार (S+G+6th Floor) कुल उँचाई 23.93 मीटर भवन निर्माण मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित कर जारी किये जाते हैं:-

1. उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम, 2020 के प्रावधान के तहत जारी की गई है।
2. भवन विनियम, 2020 के अनुसार उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से सात वर्ष के लिए मान्य होगी।
3. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है।

(1)	(2)
सैटबैक (न्यूनतम)	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र प्रथम	9.79 मी. (6.10 मी. सडक हेतु समर्पित भूमि सहित)
साईड प्रथम	6.00 मी.
साईड द्वितीय	6.00 मी.
पिछे	6.00 मी.
उँचाई	23.93 मी.
मंजिल	S+G+6 th Floor
बेसमेन्ट	प्रस्तावित नहीं
अच्छादन	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर
बी.ए.आर.	2.88

4. नगर निगम जयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए जयपुर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
5. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी स्वतः निरस्त समझा जावेगा व किया गया समस्त निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में गिना जावेगा।
6. भवन का उपयोग स्वीकृत उपयोग से भिन्न होने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा। नगर निगम, जयपुर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही करने को सवतंत्र होगा।
8. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास सेवायें हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।

(Handwritten signature)

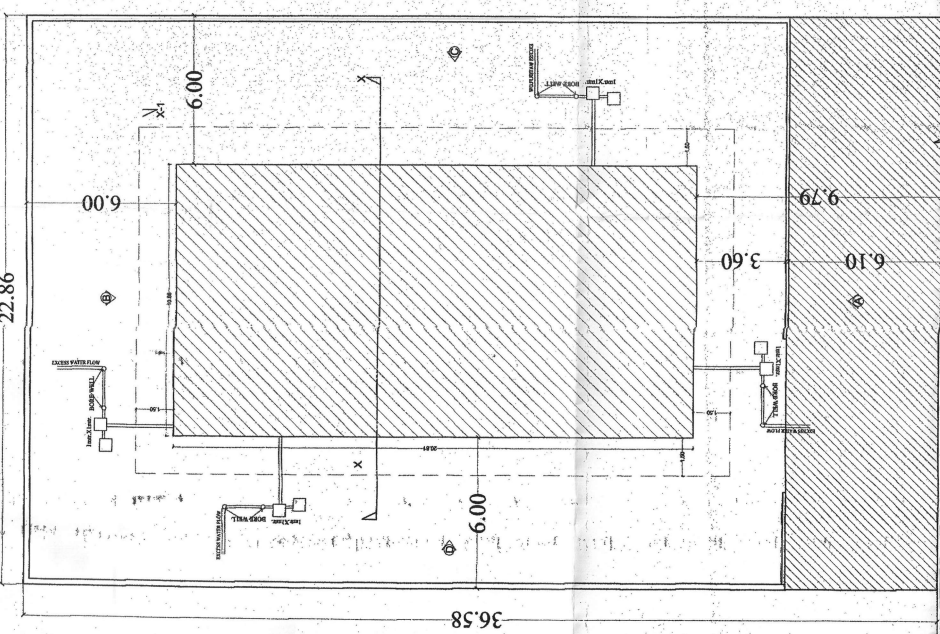
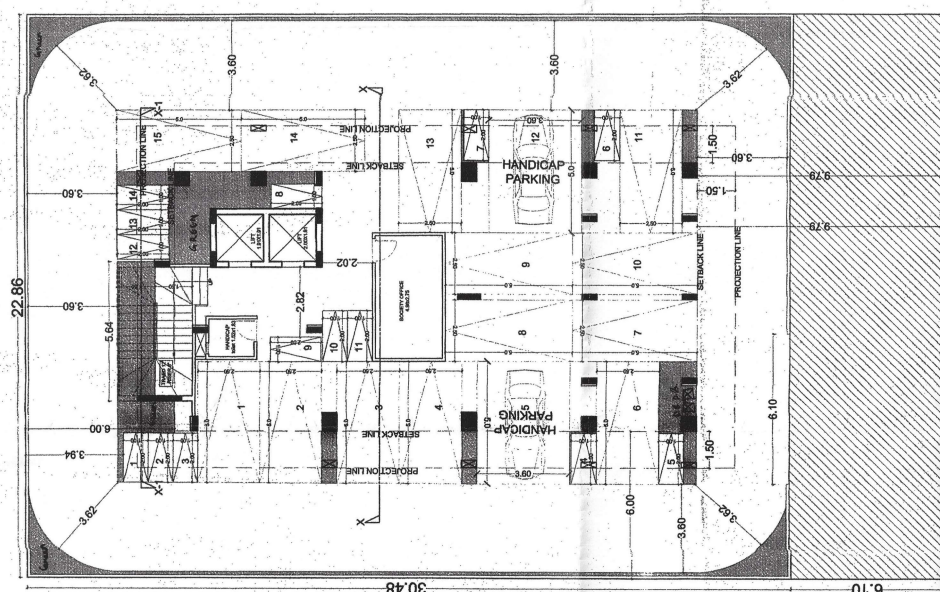
9. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौक पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जावेगी।
10. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जावेगा।
11. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है, उन बाबत मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगे।
12. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
13. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी की उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
14. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर जयपुर नगर निगम बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है उस से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर जयपुर नगर निगम हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेगें।
15. भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लन (Escape Plan) का नक्शा भी मौके पर प्रदर्शित (Display) करवाया जाना आवश्यक होगा।
16. बेसमेन्ट में प्रयाप्त वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो की भवन में रहने वालों के लिये परिसंकट मय या हानिकारक हो, के उपयोग में नहीं करेगा।
17. भवन मालिक की यह जिम्मेदारी होगी की वह भवन का निर्माण प्रारंभ होने पर बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) मौके पर उपलब्ध करवायेगा। मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति से सम्पर्क हेतु एसका सम्पर्क दूरभाष नम्बर बोर्ड पर साईड पर उपलब्ध करवाया जायेगा एवं सम्बन्धित दूरभाष नम्बर सम्बन्धित थाने में भी उपलब्ध करवाया जावेगा, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूपसे किया जा सकें।
18. प्रार्थी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की सभी शर्तों की पालना की जावेगी।
19. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
20. भवन निर्माण के दौरान श्रमिकों हेतु अस्थाई शौचालय/यूरीनल की व्यवस्था आपके स्तर से सुनिश्चित की जावें।
21. भवन विनियम 2020 के अनुसार भूखण्ड पर कचरा पात्र एवं ग्रीन क्षेत्र का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
22. अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान अनुसार सुनिश्चित किया जावे।
23. RERA Act एवं Rules Apartment Ownership Act एवं Rules के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।


 उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
 नगर निगम जयपुर हैरिटेज
 उपायुक्त (आयोजना)
 नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ-

1. उपायुक्त, सिद्धिमान नगर निगम जयपुर हैरिटेज को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
 संलग्न :- भवन मानचित्र का एक सैट
 (कुल 6 मानचित्र)


 उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
 नगर निगम जयपुर हैरिटेज
 उपायुक्त (आयोजना)
 नगर निगम जयपुर हैरिटेज



SITE PLAN

STILT FLOOR PLAN

स्वयं निर्माणक
अतिरिक्त मुद्रा गणनियन्त्रक
समाप्त निगम जयपुर हिरेडज
स्वायत्त (आयोजना)
समस्त निगम जयपुर हिरेडज

S.NO.	FLOOR NAME	GROSS BUILT AREA (SQ.MT.)	UPT/CUT-OUT AREA (SQ.MT.)	RE-STAIR (SQ.MT.)	B.A AREA (SQ.MT.)
1	1 ST FLOOR	328.44	8,975	16.59	252.83
2	2 ND FLOOR	328.44	8,975	16.59	252.83
3	3 RD FLOOR	328.44	8,975	16.59	252.83
4	4 TH FLOOR	328.44	8,975	16.59	252.83
5	5 TH FLOOR	328.44	8,975	16.59	252.83
6	6 TH FLOOR	293.30	27,566	16.59	277.16
7	9 TH FLOOR	42.51			
8	TOTAL	2595.15	85.69	114.73	2021.89

[illegible]